

भारत सरकार वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कार्यालय जिला अफीम अधिकारी मंदसौर तृतीय खण्ड मंदसौर (म.प्र.) 458001	 सत्यमेव जयते	Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue Central Bureau of Narcotics O/o the District Opium Officer, Mandsaur- III Dn. Mandsaur (M.P.) 458 001
Phone/Fax: -07422-241143		e-mail : doo-mandsaur3@cbn.nic.in
F.No. - XV(7)02/MDS-III/Seizure/2026-		Dated : 12-10-2026

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 02/2026/CBN/MDS-III में जप्त चुना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कुल 510 कट्टे कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड (म.प्र.) के विभागीय मालखाने में रखे हुए हैं जिनकी माननीय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एकट, मन्दसौर (म.प्र.) के आदेशानुसार नीलामी की कार्यवाही की जानी है। उक्त जप्त चुना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कुल 510 कट्टे की नीलामी दिनांक 22.10.2026 को समय 12:00 बजे कार्यालय परिसर जिला अफीम अधिकारी, मन्दसौर तृतीय खण्ड (म.प्र.) में प्रस्तावित है। अतः इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक 21.10.2026 को कार्यालय समयान्तराल 09:30 से 18:00 बजे तक उक्त चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कट्टों का अवलोकन कर सकते हैं।

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. प्रस्तावित कट्टों के विक्रय हेतु सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को उक्त चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कट्टे सौंपे जायेंगे।
2. उक्त चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के परिवहन हेतु वाहन एवं मजदूरों से संबंधित समस्त व्यय स्वयं बोलीकर्ता को वहन करना होगा।
3. चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला की प्रस्तावित दर पर वास्तविक क्रेता (अधिकतम बोलीकर्ता) को मुल राशि नगद दो दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा विभागीय मालखाने से उक्त चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कट्टे दो दिन के भीतर ले जाने होंगे।
4. बोलीकर्ता को बोली से पूर्व बयाना राशि 1,000/- रुपये (लौटाने योग्य) नगद जमा कराने होंगे तथा अपनी पहचान हेतु पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। दौरानें नीलामी उच्चतम बोली न्यूनतम आरक्षित दर से अधिक को रिकार्ड किया जायेगा।
5. अधिकतम बोलीकर्ता द्वारा चूना पाउडर/स्लेट पेंसिल का धुला के कट्टे ले जाने के पश्चात क्रय/विक्रय संबंधित सभी करों का भुगतान स्वयं बोलीकर्ता को करना होगा।
6. नीलामी के संबंध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार विभाग द्वारा गठित समिति के पास सुरक्षित होगा।
7. नीलामी के तहत विक्रय सामग्री की गुणवत्ता की कोई गारण्टी विभाग द्वारा नहीं दी जायेगी।
8. नीलामी के लिए सामग्री की बोली हेतु सरल कागज पर आवेदन कर सकते हैं।



(वी.एस.कुमार)
जिला अफीम अधिकारी
मन्दसौर तृतीय खण्ड